

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सिवनी जिले के अन्तर्गत पंच टाड़गर रिजर्व सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्मक्षेत्री को विस्थापित किए जाने हेतु 160.00 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 17.07.2020

स्थान: भोपाल

(एच.एस. मोहन्ता)
(एच.एस. मोहन्ता)
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)